(100)

20रु. Rs.20

विलोपित/विलोपित

बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

(224)

प्रकरण क्रमांक – पी/निग0/रीवा/भू रा0/2017/2418

रामजी पटेल तनय श्री अयोध्या सिंह पटेल, उम्र 65 साल, पेशा खेती, निवासी ग्राम डिहिया उर्फ नरसिंहपुर, तह0 हुंजूर, जिला रीवा म0प्र0

————————निगरानीकर्ता

बनाम्

समयलाल सिंह पटेल तनय श्री अयोध्या पटेल, पेशा खेती, निवासी ग्राम डिहिया उर्फ नरसिंहपुर, तह0 हुंजूर, जिला रीवा म0प्र0

———————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री मान डी. कुशवाहा द्वारा पेश। 28-7-2017

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक बृत्त गोविन्दगढ़, तह0 हुंजूर, जिला रीवा (म0प्र0) के सीमांकन प्रकरण कमांक 61/अ–12/2016–2017 पारित आदेश दिनांक 27.02.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा कमांक 204/3 रकवा 0.041हे. स्थित ग्राम नरसिंहपुर, 553, हल्का रौरा, सर्किल गोविन्दगढ़, तह0 हुंजूर, जिला रीवा म0प्र0, के आराजी के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र कपट पूर्ण तरीके से राजस्व निरीक्षक सर्किल गोविन्दगढ़, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बिना नक्शा तरमीम के कपट पूर्ण तरीके से निगरानीकर्ता व चौहद्दी कास्तकार को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन आदेश दिनांक 27.02.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/17/2418/भू-रा0 जिला रीवा

रामजी पटेल विरूद्ध अभयलाल सिंह

1	2	3
16.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री आर0डी0 कुशवाहा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 61/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.02.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	